

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/563

1. इन्द्रजीत आयु 30 साल आत्मज नाथू जाति रेगर निवासी ग्राम पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमती बदाम पुत्री नाथू पत्नी जगन्नाथ जाति रेगर निवासी काछौला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमती कमला बाई पुत्री नाथू पत्नी प्रभूलाल जाति रेगर निवासी सूहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. मेवा आयु 60 साल आत्मज देव्या जाति रेगर निवासी ग्राम पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. रेमश आयु 38 साल आत्मज मेवा जाति रेगर निवासी ग्राम पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. बुद्धि आयु 35 साल आत्मज मेवा जाति रेगर निवासी ग्राम पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बरधा आयु 63 साल आत्मज देव्या जाति रेगर निवासी ग्राम पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसील साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गोपाल गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.05.2018


1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बरधा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मालियों की झोंपड़ियाँ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी कुल किता 10 की कुल रकबा 18 बीघा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी स्वयं 1/3 तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 3 का 1/3 तथा प्रतिवादी मेवा का 1/3 हिस्सा बताते हुए उक्तानुसार पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

बरेल्ल

10.10.1

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 0628.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्तीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्तीय ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्तीय स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।
5. अपीलान्तीय ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्तीय को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.09.2016 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
6. अपीलान्तीय अपीलान्तीय सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
7. अपीलान्तीय के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णित करवाना चाहते हों । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्तीय स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
8. रेस्पोजेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्तीय खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2015 बहाल रखा जावे ।
9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्तीय के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्तीय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्तीय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्तीय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
10. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्तीय ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि रकाजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया



त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]